50

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सीधी

III/(विविध)सीधी/भू.रा./2017/4259

1– अरूण कुमार
2– कृष्ण कुमार
3– राजकुमार
4– अश्वनी कुमार सभी के पिता रामशरन
निवासी – ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)

...... प्रार्थीगण

विरूद्ध

कौशल प्रसाद मृत द्वारा विधिक वारिसान

1– जगमोहन प्रसाद त्रिपाठी
2– श्रीमती चंपा देवी अग्रवाल पत्नी स्व. श्यामलाल अग्रवाल
3– सूर्यप्रताप त्रिपाठी
4– दयाशंकन त्रिपाठी
5– श्रीकान्त त्रिपाठी
6– शान्ती देवी
7– मीरा देवी पुत्र पुत्रियां स्व. श्री कौशल प्रसाद त्रिपाठी
निवासी – ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)
2– अशिता पत्नी स्व श्याम सरजू
3– दिनेश पुत्र श्री स्व श्याम सरजू
4– रामलखन मृत वारिसान
1– जिरिया पत्नी स्व. रामलखन
2– महेश पुत्र स्व. रामलखन
3– सुरेन्द्र पुत्र स्व. रामलखन
4– मुनेन्द्र पुत्र स्व. रामलखन
निवासीगण – ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)
5– गुलवसिया पत्नी स्व रामसजीवन
6– अनिल कुमार पुत्र स्व रामसजीवन
7– मु0 शकुन्तला देवी बेवा अवधलाल
8– बाल्मिक मृत वारिस
1– राघवेन्द्र पुत्र श्री बाल्मिक
निवासीगण – ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)
9– रामराज पुत्र श्री रामप्रताप
10– देवराज पुत्र श्री रामप्रताप
11– भुवनेश्वर प्रसाद मृत वारिस
1– रामेश पुत्र स्व. भुवनेश्वर प्रसाद
2– कमलेश पुत्र स्व. भुवनेश्वर प्रसाद
निवासीगण – ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)

द्वारा आज दि. 03.11.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
17-11-17

03/11/17

17.11.17

12– सीता प्रसाद
13– सम्पति प्रसाद दोनो के पिता हरिहर प्रसाद
14– रामभुवन मृत वारिस
1– सूर्यभान पुत्र स्व. रामभुवन
2– रावेन्द्र पुत्र स्व. रामभुवन
15– त्रिभुवन
16– माधव
17– जवाहरलाल
18– चद्रमणि
19– हीरालाल
20– चन्द्रशेखर सभी के पिता राजाराम
21– बद्रीप्रसाद
22– केदारप्रसाद दोनो के पिता गोपालप्रसाद
23– सुमित्रा देवी बेवा रामगोपाल
सभी निवासीगण – ग्राम गड़हरा तहसील रामपुर नैकिन जिला – सीधी (म.प्र.)

...... प्रतिप्रार्थीगण

**व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।**

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.03.2007 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1336/दो/2007 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 11.10.2017 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थीं उसमें प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 रमाकान्त एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 4 दयाशंकर एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 22 केदार सिंह के पिता रामगोपाल लिखा गया था। किन्तु माननीय न्यायालय के आदेश में प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 श्रीमती चंपादेवी अग्रवाल एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 4 दयाशंकन एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 22 केदार सिंह के पिता गोपाल प्रसाद के नाम का उल्लेख किया गया है जो त्रुटि पूर्ण है।
3. यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में पेंज नं. 4 पर (कम्बे) एवं नामान्तरण शब्द लिखे गये है, जबकि वास्तविक रूप से कब्जे एवं नामान्तरण शब्द होना चाहिये था। ऐसी स्थिति में उक्त सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।
4. यहकि, आवेदन सद्भाविक एवं न्यायिक होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश के पेंज क्रमांक 1 मे उल्लेखित शब्द रमाकान्त, दयाशंकर एवं पेंज नं. 2 में प्रत्यर्थी क्रमांक 22 के पिता का नाम रामगोपाल एवं पेंज नं. 4 के पैरा 4 में कब्जे एवं नामान्तरण शब्द का स्थापित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर निवेदक

दिनांक : 18.10.2017 अरूण कुमार एवं अन्य ...... आवेदकगण

द्वारा अभिभाषक

के.के.द्विवेदी

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन / विविध / सीधी / भूरा / 2017 / 4259

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22-12-17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित होकर उनके द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है। इस न्यायालय में प्र0 क0 निग0 1336–दो / 07 में पारित आदेश दिनांक 11.10.17 में पारित आदेश में प्रतिप्रार्थी कमांक –2 रमाकांत एवं प्रतिप्रार्थी कमांक–4 दयाशंकर एवं प्रतिप्रार्थी कमांक–22 केदार सिंह के पिता रामगोपाल लिखा गया था। किन्तु राजस्व मण्डल के आदेश में प्रतिप्रार्थी कमांक– 2 श्रीमती चंपादेवी अग्रवाल एवं प्रतिप्रार्थी कमांक 4 दयाशंकन एवं प्रतिप्रार्थी कमांक–22 केदार सिंह के पिता गोपाल प्रसाद के नाम उल्लेख किया गया है जो त्रुटि हुई है उसको सुधार करने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार आदेश में पेज कमांक –4 पर कम्बे एवं नामांतरण शब्द लिखे गये हैं जबकि वास्तविक रूप से कब्जे एवं नामांतरण शब्द करने का अनुरोध किया गया है।<br>2–मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है कि अनावेदक | |

प्रकरण कमांक तीन/विविध/सीधी/भूरा/2017/4259



कमांक–2 चंपा देवी अग्रवाल के स्थान पर रमाकान्त एवं अनावेदक कमांक –4 के स्थान पर दयाशंकन एवं अनावेदक कमांक 22 केदार सिंह के पिता गोपाल प्रसाद के स्थान पर रामगोपाल एवं पेज कमांक 4 पैरा में कम्बे के स्थान पर कब्जे एवं नामांतरण शब्द पढ़ा जावे।

3– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश पत्रिका प्र0 क0 निग0 1336–दो/07 में पारित आदेश दिनांक 11.10.17 में पारित आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य